न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 07/2024 (फोरलेन)

उनवान

घीसु लाल पिता नन्द लाल डाकोत निवासी कोठारियों का मोहल्ला सहाडा, तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी गंगापुर।
2. समक्ष प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति अधिकारी डिवीजन उदयपुर, राजस्थान।
3. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग सहाडा, मुकाम गंगापुर।
4. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई चित्तौडगढ, राजस्थान साईट ऑफिस 06—ए—01 आर.सी.व्यास कॉलोनी भीलवाडा।
5. देउ पुत्री नन्द लाल डाकोत निवासी कोठारियों का मोहल्ला सहाडा, तहसील सहाडा।
6. शिवलाल डाकोत पुत्र शान्ति लाल डाकोत निवासी कोठारियों का मोहल्ला सहाडा, तहसील सहाडा।
7. मुकेश डाकोत पुत्र शान्ति लाल डाकोत निवासी कोठारियों का मोहल्ला सहाडा, तहसील सहाडा।
8. पुष्पा देवी पुत्री शान्ति लाल डाकोत निवासी कोठारियों का मोहल्ला सहाडा, तहसील सहाडा।
9. कंचन पुत्री शान्ति लाल डाकोत निवासी कोठारियों का मोहल्ला सहाडा, तहसील सहाडा।
10. श्रवण देवी पत्नि शान्ति लाल डाकोत निवासी कोठारियों का मोहल्ला सहाडा, तहसील सहाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा—3जी 5 नेशनल हाईवे एक्ट 1956

उपस्थित —

1 अधिवक्ता प्रार्थी— शिवसिंह चारण, प्रवीण सिंह।
2. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 04 — मुकुट बिहारी, गोविन्द मेवाडा।

निर्णय

दिनांक :08/04/2026

1— प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी 5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि— प्रार्थी के पिता की एक कृषि आराजीयात जिसकी आराजी नम्बर 1001 रकबा 11 बिस्वा है, को भीलवाड़ा से कांकरोली मुख्य मार्ग जो कि अब भीलवाड़ा राजसमन्द फोर लेन हो गया है, से अवाप्त की गई और इसके बाद आज दिनांक तक कोई मुआवजा न तो प्रार्थी के पिता नन्द लाल को और न प्रार्थी को जारी किया गया। इस प्रकार उक्त अवाप्ति से प्रार्थी को या उसके परिवार को कोई राशि मुआवजा स्वरूप प्राप्त नही हुई है। इसलिए उक्त राशि आज दिनांक से बाजार मूल्य से प्राप्त करने का

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अधिकारी है। जमाबन्दी (खेवट–खतोनी) ग्राम सहाडा तहसील सम्वत 2026–2029 खसरा संख्या 1001 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा भूमि मे से 11 बिस्वा भूमि अवाप्त करते हुए अवाप्त भूमि पी.डब्लु.डी के नाम दर्ज हुई। तहसील सहाड़ा मु० गंगापुर द्वारा सृजित किये गये मिलान क्षेत्रफल पर तत्कालीन आराजी नम्बर 1001 मी. के अनुसार अवाप्त रकबा 11 बिस्वा कम किया जाकर नवीन नम्बर 2312 एवं 2313 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा कायम किया गया।

2– यह है कि जमाबन्दी (खतोनी) ग्राम सहाड़ा खातेदार नन्द लाल फोत के बजाय शान्ति लाल एवं धीसु लाल पिता नन्द लाल डाकोत के नाम 11 बिस्वा भूमि अवाप्ति के बाद शेष रकबा के नवीन खसरा नम्बर 2312 क्षेत्रफल 0.26 एवं ख.स. 2313 क्षेत्रफल 0.25 दर्ज हुआ। तत्कालीन खातेदार नन्द लाल पुत्र कालु डाकोत द्वारा उनके जीवन काल मे अवाप्त रकबा 0.11 बिस्वा का मुआवजा नही मिलने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अधीन सम्बन्धित विभाग से सूचना चाही जाने पर– (अ) अवाप्ती सम्बन्धी कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी डिवीजन उदयपुर द्वारा की गई। (ब) 46 वर्ष पूर्व का रेकार्ड अधीक्षण अभियन्ता, सा०नि०वि० वृत भीलवाड़ा को हस्तान्तरित हुआ जिसे रेकार्ड रूम में ढुंढने पर मात्र भूमि अवाप्ति अधिकारी डिवीजन उदयपुर द्वारा श्री नन्द लाल पिता कालू डाकोत के पक्ष में जारी अवार्ड की प्रति ही प्राप्त हुई। इसके अलावा और कोई रेकार्ड प्राप्त नहीं हुआ। (स) उपलब्ध अवार्ड क्रमांक 868 दिनांक 24.04.69 की प्रमाणित प्रति ही प्राप्त हुई।

3– तत्कालीन खातेदार श्री नन्द लाल डाकोत के नाम भूमि अवाप्ति 11 बिस्वा के बाद शेष भूमि का विरासत से शान्ति लाल एवं घीसू लाल डाकोत के नाम मिलान क्षेत्रफल के सृजन पर आ.स. 6112 एवं 6113 कायम हुये थे। इन दोनो खातेदारो द्वारा अपने अपने स्वामित्व की भूमि विक्रय कर दी गई। भूमि विक्रय के बाद नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 घोषित होकर अधिसूचनाओ के अधिन राजसमन्द–भीलवाड़ा सेक्शन) हेतु उक्त विक्रयशुदा आराजीयात मे से जो भूमि अवाप्त की गई उसका प्रतिकर भुगतान प्रचलित डी एल सी 756/–रूपये प्रतिवर्ग मीटर के अनुसार किया गया। ग्राम सहाड़ा की वर्तमान प्रभावी डी.एल.सी. दरे भी प्राप्त की गई। जिनके अवलोकन पर कृषि दरो के अलावा आबादी दरो के अनुसार भी कय/विक्रय का पंजीयन आदि हो रहा है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया तत्कालीन ग्राम सहाड़ा की आराजी संख्या 1001 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से 11 बिस्वा भूमि सा०नि०वि उदयपुर द्वारा भीलवाड़ा कांकरोली रोड़ हेतु अवाप्त कर अवार्ड संख्या 868 दिनांक 24.04.69 जारी किया गया, लेकिन मुआवजा भुगतान नही हो पाया। आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.2023 को कमांक एन एच 758/2023/49 से मूल ही प्रार्थी/अधिवक्ता को लौटाकर लेख है कि पृष्ठांकित प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यो के सम्बन्ध मे उपलब्ध प्रावधानो के अनुरूप कार्यालय स्तर पर किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नही है।

अतः तत्कालीन समय अवार्ड का भुगतान नही होने पर आराजी संख्या 6112 एवं 6113 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 भीलवाड़ा राजसमन्द सेक्शन हेतु स्वीकृत डीएलसी के अनुसार पूर्व की आराजी संख्या 1001 से अवाप्त 11 बिस्वा भूमि का मुल्यांकन करा मुआवजा भुगतान के आदेश प्रदान कराया जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

4– **बाद जांच प्रकरण दिनांक 04.03.2024 को पजीबद्व किया जाकर अप्रार्थीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की ओर से जवाब पेश। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। विपक्षी संख्या 04 के अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए जवाब पेश किया गया कि–** परियोयजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित नहीं है

जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

उक्त तथ्य सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित होने से प्राधिकरण इस बारे में कोई जानकारी नहीं रखता। अवाप्ति सम्बन्धी कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी डीवीजन उदयपुर द्वारा 1969 में की गयी हैं इस सम्बन्ध में प्राधिकरण कोई जानकारी नहीं रखता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 के लिए 3(जी) (एच) के तहत अवार्ड आदेश पारित करने के लिए नियत सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी ने भी प्रथम दृष्टया प्रार्थी के प्रार्थना में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में उपलब्ध प्रावधानों के अनुरूप कार्यालय स्थल पर किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण को दर्ज हीं नहीं कर, अस्वीकार कर, प्रार्थी को मूल ही लौटा दिया हैं, जब अधिनियम की धारा 3 (जी) (एच) की पालना हो माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवार्ड आदेश ही जारी नहीं किया गया हैं तो प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 3 (जी) (5) के तहत कतई पोषनीय नहीं हैं।

5— यह कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 के लिए जरिये राजपत्र में प्रकाशन अधिसूचना क्रमांक का.आ./1813 (अ) दिनांक 14/08/2012 को प्राधिकृत किया है इस अधिसूचना को भारत के राजपत्र असाधारण भाग—II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी हैं। जबकि प्रार्थी का हस्तगत प्रकरण 1969 का हैं उस समय उक्त मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था और ना ही भारत सरकार के राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी को भूमि अवाप्ति एवं अवार्ड आदेश जारी करने बाबत ही नियत किया था। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवाप्ति की कार्यवाही नहीं की गयी हैं तो जब अधिनियम की धारा 3(जी) (5) के तहत प्रार्थना पत्र विधि के प्रतिपदित सिद्धान्तों के विरुद्ध पेश किया हैं जो खारिज किये जाने योग्य हैं।

6— अधिनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी गंगापुर द्वारा प्रार्थी का अधिनियम की धारा 3(जी) (एच) का वास्ते अवार्ड आदेश जारी करने का प्रार्थना पत्र विधि सम्मत नहीं होने से उसे दर्ज किये बिना ही प्रार्थी/अधिवक्ता को मूल ही लौटा दिया। जब 3 (जी) (एच) का अधीनस्थ न्यायालय का आदेश ही नहीं हैं तो प्रार्थी आप न्यायालय के यहां 3 (जी) (एच) के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर ना तो चाराजोही कर सकता हैं और ना ही इमदाद प्राप्त करने की पात्रता रखता हैं।

अतः विपक्षी संख्या 04 परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से प्रस्तुत जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

7— **प्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 29.12.2025 को लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि—** ग्राम सहाडा की आराजी संख्या 1000 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से 11 बिस्वा भूमि सा.नि.वि. उदयपुर द्वारा भीलवाडा कांकरोली रोड हेतु अवाप्त कर अवार्ड संख्या 868 दिनांक 24.06.1969 को जारी किया गया लेकिन मुआवजा भुगतान नहीं हो पाया वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. संख्या 758 भीलवाडा—राजसमंद स्थित है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या 4 लगायत 09 उक्त भूमि के खातेदार स्वंय घीसू लाल एवं 4 लगायत 9 शांतिलाल के वारिसान दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी ने साबित करायी इस संबंध में विपक्षी संख्या 3 जिसके पास प्रार्थी की उक्त भूमि है और प्रयोजना कियान्वयन में उक्त भूमि इनके कब्जे में होकर एन.एच. 758 के रूप में उपयोग में ली जा रही है, स्वीकृत तथ्य है। परन्तु विपक्षी संख्या 3 परियोजना निदेशक ने इस सब तथ्यों की जानकारी होते हुए भी अपने जवाब दिनांक 21.05.2025 को जानकारी के अभाव में अस्वीकार होना कथन किया है जो मात्र न्यायालय को गुमराह करने वाला तथ्य हैं प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की प्रति जो चरण संख्या 2(1) से 2(4) से संबंधित है, का रेकार्ड उपलब्ध कराया गया है जो शासकीय दस्तावेज है और

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

ऐसे शासकीय दस्तावेजों के संबंध में यह लिख देना कि जानकारी के अभाव में अस्वीकार है गलत एवं भ्रातक जवाब है जिसका उद्देश्य न्यायालय को गुमराह करना है जब सार्वजनिक निर्माण विभाग यह लिखकर दे रहा है कि उक्त प्रकरण की भूमि वर्तमान में एन.एच. 758 के पास है। अवाप्त अवार्ड संख्या 868 दिनांकित 24.06.1969 से अवाप्त हुई है मुआवजे का भुगतान नहीं हो पाया है और वर्तमान समय में एन.एच. संख्या 758 भीलवाडा के पास है।

अतः प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के समर्थन में उक्त तर्क व दस्तावेज स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान बाजार मूल्य से अन्य पारित किये गये अवार्डो के अनुरूप प्रार्थी की भूमि का अवार्ड जारी फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

8— **विपक्षी संख्या 04 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 17.03.2026 को लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि—** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तो लोक हित में जन जीवन का सरल एवं सुगम बनाने के लिये राष्ट्रीय राजमार्गो (सडकों) का निर्माण करता है। भूमि अवाप्ति की समस्त कार्यवाही स्थानीय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्जन) अधिकारी द्वारा की जाती है। हस्तगत प्रकरण में केन्द्र सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य के भीलवाडा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 के 30 कि.मी. से 60 कि.मी. तक के प्रस्तावित (राजसमंद—भीलवाडा सेक्शन के सडक निर्माण चौडा करने/चारलेन बनाने आदि) अनुरक्षण प्रबन्ध और प्रचालन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतू केन्द्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखण्ड अधिकारी (भूमि अर्जन) गंगापुर भीलवाडा को सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्जन के कार्यो का निष्पादन करने के लिये जरिये सूचना क्रमांक कार्यालय आदेश/1813 (अ) दिनांक 14.08.2012 को प्राधिकृत किया। इस अधिसूचना को भारत के राजपत्र असाधरण भाग 11 खण्ड 3 उपखण्ड (2) में दिनांक 14.08.2012 को प्रकाशित की गई। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी दिनांक 28.06.2023 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्जन) उपखण्ड अधिकारी गंगापुर को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे मूल ही प्रार्थी/अधिवक्ता को लौटाकर प्रार्थना पत्र में चाहे गये मुआवजा के संबंध में में उपलब्ध प्रावधानों के अनुरूप कार्यालय स्तर पर किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं हो। पृष्ठाकंन के साथ सूचित करते हुए दिनांक 07.07.2023 को लौटा दिया। क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र 3—जी का वास्ते अवार्ड आदेश जारी करने का प्रार्थना पत्र विधि सम्मत नहीं होने तथा अवधि बाधीत होने से मूल ही लौटा दिया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने 24.06.1969 को अवाप्ताधीन रही भूमि का मुआवजा चाहा है। तत्समय राजपत्र में प्रकाशन न हो उपखण्ड अधिकारी गंगापुर भूमि अर्जन बाबत सक्षम प्राधिकारी नियत न होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकारी से परे होने से तथा उक्त प्रकरणों में दिनांक 14.08.2012 के पश्चात 3—जी—5 के तहत राजपत्र में प्रकाशन के उपरान्त (भूमि अर्जन) उपखण्ड अधिकारी गंगापुर एवं माध्यस्तम अधिकारी आपको नियत ही केन्द्र सरकार के सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14.08.2012 को की गई है तो 1969 के प्रकरण आप न्यायालय क्षेत्राधिकर से परे हो पोषणीय नहीं हो निरस्त योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

9— विपक्षी संख्या 03 सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रार्थी की भूमि अवाप्त होना अवार्ड होना भूगतान नहीं होने का कथन किया है, किन्तु उनके द्वारा भुगतान क्यो नहीं किया गया का स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है। सन् 1969 के प्रकरण को अब 55 वर्ष से अधिक समय बाद सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्जन) उपखण्ड अधिकारी गंगापुर एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर अवैध विधि विरूद्व दवाब बनाकर अनुतोष प्राप्त करना चाहते है जो स्वीकार नहीं है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्जन) उपखण्ड अधिकारी गंगापुर प्रार्थना पत्र पेश किया को विधि विरूद्व पोषणीय नहीं होने से दर्ज किये बिना ही पुनः लौटा दिया। जब सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्जन) उपखण्ड अधिकारी गंगापुर द्वारा 3—जी अवार्ड ही जारी नहीं किया

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

तो आप न्यायालय 3(जी)5 के तहत उक्त प्रार्थना पोषणीय नहीं है। हस्तगत प्रकरण तथ्यों एवं परिस्थितियों से भिन्न होने से तथ्यों का सम्यक विवेचन करने के उपरान्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होने से खारीज किया जाना न्याय संगत है।

अतः लिखित बहस विपक्षी संख्या 04 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की परिधि के बाहर होने से अस्वीकार कर खारीज फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

10— **उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि—** प्राथी व अप्रार्थी अधिवक्ता के बहस उपरांत यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियमानुसार प्रावधानों के अनुरूप पेश नहीं किया है। जब अधिनियम की धारा 3(जी)(एच) का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवार्ड आदेश ही जारी नहीं किया गया है तो प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 3(जी)(5) के तहत इस न्यायालय में पोषणीय नहीं ठहरता है।

इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौजूदा प्रार्थनापत्र दिनांक 27.07.2023 मियाद अधिनियम 1963 के अनुसार तय समय सीमा के अन्दर पेश नहीं किये जाने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएव—

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौजूदा प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय (सक्षम प्राधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाडा को निर्णय प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08/05/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर (आर्बिट्रेटर)
भीलवाड़ा